

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / नस्थी क्र. 16 / 930

अम्बिकापुर, दिनांक / 05/05 / 2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for proposal of Kente Extension Coal Block, Total area of block required for prospecting 1759.04 ha. -regarding

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक / भू-प्रबंध/खनिज/एल.एम. 331-228/1090 दिनांक 25.04.2017

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को तहसील उदयपुर जिला सरगुजा में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का पूर्वक्षण कार्य हेतु 1759.04 हे. (संशोधित क्षेत्र 1762.839 हेक्टेयर) क्षेत्र के प्रस्ताव अन्तर्गत कमियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्नानुसार है :-

1. ऑन लाईन फार्म सी के पार्ट II के कॉलम नंबर 2 में सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत वनक्षेत्र 1745.883 हे० है, जिसे ऑन लाईन सुधार कर पार्ट II हस्ताक्षर उपरांत संलग्न सम्प्रेषित है।

2. प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ऑन लाईन पुनः अपलोड किया गया है।

3. ऑन लाईन प्रस्ताव में फार्म सी के पार्ट II में वनमण्डलाधिकारी सरगुजा का अनुशंसा संलग्न है।

4. ऑन लाईन प्रस्ताव के फार्म सी के पार्ट I एवं पार्ट II की मूल हस्ताक्षरित प्रति ऑन लाईन अपलोड किया गया है एवं संलग्न सम्प्रेषित है।

5. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट, के.एम.एल. फाईल तथा शेप फाईल प्रस्तावित क्षेत्र का ऑन लाईन अपलोड किया गया है तथा जानकारी सी.डी. में संलग्न सम्प्रेषित है।

6. प्रस्ताव की एक मूल प्रति संलग्न सम्प्रेषित है।

7. वनमण्डलाधिकारी का नाम व सील विधिवत् दर्शित किया गया है।

उपरोक्तानुसार जानकारी तैयार कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

वन संरक्षक,

एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक / 05/05 / 2017

पृ.क्रमांक/तक.अधि./नस्थी क्र. 16 / 931
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप मुख्य अभियंता (पथूल) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वन संरक्षक

एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

PART – II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Division serial No. of proposal - Online Proposal No. **FP/CG/MRL/5/2016**

16. Location of the project or scheme:

- (i) State/Union Territory : Chhattisgarh
(ii) District : Surguja
(iii) Forest Division : Surguja Forest Division, Ambikapur
(iv) Area of forest land proposed to be utilized for prospecting : 1745.883 Ha

17. Legal status of forest land identified for prospecting : Protected Forest Land

18. Details of vegetation available in the forest land proposed for diversion : 153 No. Borehole

- (i) Forest type : 3B/C2 Southern Moist Mixed Deciduous & 3C/C2e(ii) Moist Peninsular Low Level Sal Forest.
(ii) Average crown density of vegetation : 0.5 to 0.6
(iii) Species-wise local or scientific names and girth-wise enumeration of trees required to be felled : No tree required to be felled.
(iv) Working plan prescription for the forest land proposed to be utilized for prospecting :
Proposed area under selection cum improvement and improvement working circle as per working plan of Surguja Division.

19. Brief note on topography and vulnerability of the forest land proposed to be utilized for prospecting to erosion : Prospecting operation will have no effect on topography and erosion. Proposed area is having rich biodiversity and Virgin Forest.

20. Approximate distance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from boundary of the forest land : Proposed prospecting area within the forest land.

21. Significance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from wildlife point of view :

- (i) Details of wildlife present in and around the forest land proposed to be utilized for prospecting : Bear, Fox, Jackal, Snakes, Birds, etc. and sometimes movement of wild elephant is seen.
(ii) Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed) : No
(iii) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within ten kilometers from boundary of the forest land proposed to be utilized for prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed) : No

मो. शाहिद
Conservator Of Forest
Incharge D.F.O.
Surguja Division, Ambikapur

- (iv) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within one kilometer from boundary of the forest land proposed to be utilized for prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed) : No
- (v) Whether any rare or endangered or unique species of flora and fauna found in the area-if so details there of : No
22. Whether any protected archaeological or heritage site or defense establishment or any other important monument is located in the area – (If so, details thereof with no-objection certificate (NoC) from competent authority to be annexed) : No (Certificate from Collector Surguja Letter No. 2352 Dt. 21-10-2016 annexed.)
23. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed to be utilized for prospecting :
- (i) Whether the requirement of forest land as proposed by the User Agency in para 6 and para-7 of the Part-I is unavoidable and bare minimum for the project :
- Kente Extension coal block has been allotted by Ministry of coal New Delhi vide Letter No. 13016/26/2004 Dated 31.03.2015 to M/s RRVUNL for captive use in their thermal power plants located at Rajasthan. The coal block area is therefore site-specific.
- (ii) If no, recommended area of forest land which may be used for prospecting : N.A.
24. Details of violation committed :
- (i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out (Yes/No) : No
- (ii) If yes, details of the violation including period of workdone, area of forest land involved in violation, name, address and designation of the person (s) responsible for violation and action taken against the person (s) responsible for violation : No
- (iii) Whether work in violation is still in progress (Yes/No) : No
25. Details of compensatory afforestation scheme :
- (i) Legal status of the land identified to raise compensatory afforestation : N.A
- (ii) Details such as location, Survey or Compartment or Khasra number, area and distance from adjoining forest of each plot of non-forest area or degraded forest land identified for compensatory afforestation : N.A
- (iii) Survey of India Toposheet(s), in original in 1:50,000 scale showing non-forest or degraded forest land identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries enclosed? (Yes/No) : N.A

मो. शाहिद
Conservator of Forest
Incharge D.F.O.
Surguja Division, Ambikapur

- (iv) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. enclosed (Yes/No) : N.A
- (v) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme : N.A
- (vi) Certificates from the concerned Deputy Conservator of Forests regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view enclosed? (Yes/No) : N.A

26. Site inspection report of the Deputy Conservator of Forests highlighting important facts pertaining to the impact of proposed activities on flora and fauna enclosed (yes/No) : Yes (Site inspection report enclosed)

27. Specific recommendations of the Deputy Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons : Kente Extension coal block has been allotted by Ministry of Coal, New Delhi. Prospecting work shall be done by drilling machine manually transported to specified points of boreholes due to sufficient regeneration in forest area. Therefore proposed area is recommended for energy requirement in national interest.

Date: 23-02-2017

Place: Ambikapur

Signature-----

(Md. Shahid) मो. शाहिद

"I.F.S." वनसंरक्षक भा.व.से.

Official Seal ----- वन प्रमोर्षी-वनमण्डलाधिकारी
Incharge D.F.O. सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
Surguja Division, Ambikapur

सरगुजा जिला के उदयपुर तहसील अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु वनभूमि 1745.883 हे. क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या पंजीयन क्रमांक FP/CG/MRL/5/2016

1	परियोजना का नाम	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को तहसील उदयपुर जिला सरगुजा में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु कुल क्षेत्र 1759.04 हे. (संशोधित क्षेत्र 1762.839 हेक्टेयर) अन्तर्गत वनभूमि 1745.883 हे0 क्षेत्र में पूर्वक्षेत्र कार्य का प्रस्ताव		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपद ज्योतिनगर, जयपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक अन्तर्गत पूर्वक्षेत्र का कार्य कुल 153 बोरहोल का कार्य।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		सरगुजा	सरगुजा	उदयपुर वनपरिक्षेत्र, ग्राम केते बासेन, चकेरी एवं परोगिया
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हे.) में
	क. सीमांकित संरक्षित वन	मतरिंगा	पी-2003	8.500
		मतरिंगा	पी-2104	268.883
		मतरिंगा	पी-2105	206.300
		मतरिंगा	पी-2106	127.300
		मतरिंगा	पी-2107	172.300
		मतरिंगा	पी-2108	87.700
		मतरिंगा	पी-2109	114.600
		मतरिंगा	पी-2110	35.200
		मतरिंगा	पी-2111	5.300
		मतरिंगा	पी-2124	63.000
		मतरिंगा	पी-2125	81.000
		मतरिंगा	पी-2126	345.600
		मतरिंगा	पी-2127	164.200
		मतरिंगा	पी-2128	3.300
		मतरिंगा	पी-2130	6.900
		मतरिंगा	पी-2099	51.700
		मतरिंगा	पी-2069	4.100
		योग :-		1745.883
	ख. आरक्षित वन	-	-	-
	ग. राजस्व वनभूमि	-	-	-
	महायोग :-			1745.883 हे0
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल एवं मिश्रित वन, घनत्व-0.5 से 0.6 तक		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	साल, धावड़ा, साजा, बीजा, ओंवला, महुआ इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष आवेदित क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्वक्षेत्र हेतु आवेदित क्षेत्र में 153 बोरहोल किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण वनभूमि में वृक्षों का गणना प्रतिवेदन प्रजातिवार नहीं किया गया है।		

मो. शाहिद
वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	पर्याप्त
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	आवेदित क्षेत्र का मानचित्र संलग्न है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील की सीमा के 10 किमी. के अंतर्गत स्थित नहीं है। कलेक्टर सरगुजा के पत्र क्रमांक 2352 दिनांक 21.10.2016 के अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई पुरातात्विक स्थल, विरासत स्थल एवं रक्षा प्रतिष्ठान स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र में समय-समय पर जंगली हाथियों का विचरण तथा अन्य वन्य प्राणियों भालू इत्यादि का विचरण वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में होता है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक का आबंटन भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13016/26/2004-सी.ए. दिनांक 31.03.2015 द्वारा आग्नेय संस्थान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर को किया गया है। आवेदित क्षेत्र में पूर्वक्षण कार्य हेतु कुल 153 नग बोरहोल किया जाना प्रस्तावित है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदित क्षेत्र का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है। वनक्षेत्र में पुनरोत्पादन (Regeneration) पर्याप्त होने के कारण, बोरहोल्स हेतु निर्धारित प्वाइन्ट पर पहुंचने हेतु ड्रिलिंग मशीन को मैनुअल परिवहन किया जावे जिससे पुनरोत्पादन को कोई क्षति न पहुंचे।

निरीक्षण स्थल - ग्राम केते बासेन, चकरी एवं परोगिया, उदयपुर परिक्षेत्र।

दिनांक - 08.02.2017

एस.बी. पाण्डेय
वन परिक्षेत्राधिकारी
उदयपुर

एस.बी. सिंह चंदेल
संयुक्त वनमण्डलाधिकारी,
उदयपुर

मो. शाहिद (मोहम्मद शाहिद)
भा.व.से.
वनसंरक्षक एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर